भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4192

उत्तर देने की तारीख-01/04/2026

प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत नाश्ते को शामिल करना

4192 **श्री मिलिंद मुरली देवराः**

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से प्रधानमंत्री पोषण (मध्याह्न भोजन) योजना में नाश्ते को शामिल करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) ऐसे प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं;

(ग) नाश्ते को शामिल करने के लिए किस मानदंड और लागत संबंधी प्रभाव की जांच की जा रही हैं;

(घ) क्या मंत्रालय ने बजटीय प्रावधानों के संबंध में वित्त मंत्रालय से परामर्श किया है; और

(ङ) इसका बच्चों के पोषण स्तर और स्कूल में उपस्थिति पर क्या प्रभाव अपेक्षित है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ङ): शिक्षा भारत के संविधान की समवर्ती सूची का विषय है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासन के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषन) योजना राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित सबसे प्रमुख अधिकार आधारित केंद्र प्रायोजित योजनाओं में से एक है, जो बाल वाटिका (कक्षा-1 से ठीक पहले) और सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्रों को गर्म पकाया हुआ और पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए है। योजना में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 10.35 लाख से अधिक स्कूलों में लगभग 11 करोड़ बच्चे शामिल हैं। बच्चों को पका हुआ गर्म और पौष्टिक भोजन प्रदान करने की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन की होती है।

पूरक पोषण उपायों के प्रावधान में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपयोग किए जाने वाले फ्लेक्सी घटक की व्यवस्था है। गुजरात और तमिलनाडु जैसे कुछ राज्य बच्चों को मध्याह्न भोजन के साथ नाश्ता भी उपलब्ध कराते हैं। कई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र दूध, अंडा, चिक्की, ताजे फल, चिकन, रागी माल्ट आदि जैसे अतिरिक्त पूरक पोषण उपाय प्रदान करते हैं। कुछ राज्य और संघ राज्य क्षेत्र अपने स्वयं के संसाधनों से विद्यार्थियों को दूध, अंडा, फल आदि जैसी अतिरिक्त

वस्तुएं प्रदान करते हैं। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को निर्धारित पोषण और खाद्य मानकों के भीतर स्थानीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त मेन्यू तय करने और बाजरा, सब्जियां, मसालों आदि जैसे स्थानीय रूप से उगाए गए खाद्य पदार्थों की खरीद के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
